

क्र. एफ-17-11/09/रा.स./यू.ए.1/191

दिनांक 27 फरवरी, 2025

प्रति,

कुलगुरु,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषय - कला संकाय के संकायाध्यक्ष पद पर नियुक्ति ।

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 27 की उपधारा (4) के प्रावधानान्तर्गत कुलाधिपतिजी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा प्रो. भरत कुमार तिवारी, आचार्य, दर्शन विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर को दो वर्ष की कालावधि के लिए विश्वविद्यालय के कला संकाय के संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है ।

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर के आदेशानुसार

सही/-
राज्यपाल के अपर सचिव
मध्यप्रदेश

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



पृ० क्रमांक/अका./2025/160

जबलपुर, दिनांक 7/3/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित -

1. प्रो. भरत कुमार तिवारी, आचार्य, विश्वविद्यालय दर्शन विभाग, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
2. राज्यपाल के अपर सचिव, मध्यप्रदेश राज भवन भोपाल 462 003
3. समस्त संकायाध्यक्ष, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यगण ।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग, जबलपुर ।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/महाविद्यालयीयन विकास परिषद, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
7. स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त अधिसूचना को समाचार के रूप में प्रकाशित करें ।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर से अनुरोध है कि इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
9. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।


कुलसचिव,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर